न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति पिंकी गुर्जर आरएएस

उनवान

सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार करौली बनाम रमेश चंद

दावा धारा 177 आरटीएक्ट

दावा संख्याः—12/24 दिनांक रजूः—24.05.24

निर्णय दिनांकः—05.09.2024

पवावली पेश हुयी। सरकार पैरोकार उपस्थित। सरकार पैरोकार तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 30.07.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत् दावा विड्रो पर दिनांक 23.08.2024 को बहस सुनी गयी। न्यायालय Invito benefician non dator के सिध्दान्त से बाध्य होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1 (1) के आधार पर वाद को विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बिना सक्षम अनुमति के पुनः अकृषि कार्य करने की दशा में नया दावा लाये जाने की स्वतन्त्रता के साथ वाद को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पिंकी गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
करौली